

# DCM FINANCIAL SERVICES LTD

CIN: L65921DL1991PLC043087

Regd. Office: D-7/3, Okhla Industrial Area- II, New Delhi-110020



## PUBLIC NOTICE FOR REFUND TO FIXED DEPOSIT HOLDERS AND DEBENTURE HOLDERS

Pursuant to order of Hon'ble High Court of Delhi dated 10th Aug, 2017 in Co. Petition CP 300/2005, Public Notices were widely released on 25.10.2017 & 23.12.2017 in the media throughout India. Individual notices were also sent at the last known address, of the depositors and debenture holders. They were advised to submit KYC forms in compliance with the scheme for initiating repayments. Copies of these are available at the Company's website [www.dfsonline.com](http://www.dfsonline.com).

As all the Fixed Deposit and Debenture holders have not approached the Company to claim the amount as per scheme, as a last opportunity, time is extended to submit necessary documents and comply with the requirement of the scheme to claim repayment by Fixed Depositors and Debenture Holders upto **16<sup>th</sup> Aug, 2019** and are advised to comply with the requirement forthwith before the said date.

ISSUED BY:

Dated : 11<sup>th</sup> July, 2019

**DCM Financial Services Limited**

## डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

CIN: L65921DL1991PLC043087

पंजीकृत कार्यालय : डी-7/3, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110020



### सावधि जमा धारकों तथा डिबेंचर धारकों को धन वापसी हेतु सार्वजनिक सूचना

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 अगस्त, 2017 को कं. याचिका सीपी 300/2005 के अनुसार सम्पूर्ण भारत में मीडिया में 25.10.2017 तथा 23.12.2017 को सार्वजनिक सूचनाएँ निर्गत की गयी थीं। जमाकर्ताओं तथा डिबेंचर धारकों के अन्तिम ज्ञात पते पर व्यक्तिगत सूचनाएँ भी भेजी गयी थीं। उन्हें पुनर्भुगतान प्रारम्भ करने हेतु योजना के अनुपालन में केवाईसी प्रपत्र जमा करने की सलाह दी गयी थी। इनकी प्रतियाँ कम्पनी की वेबसाइट [www.dfsonline.com](http://www.dfsonline.com) पर उपलब्ध हैं।

चूँकि सभी सावधि जमा तथा डिबेंचर धारकों ने योजना के अनुरूप राशि के दावे के लिए अन्तिम अवसर के रूप में कम्पनी से सम्पर्क नहीं किया, अतः सावधि जमाकर्ताओं तथा डिबेंचर धारकों द्वारा पुनर्भुगतान का दावा करने के लिए योजना की वांछनीयता के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाकर **16 अगस्त, 2019** कर दी गयी है और कथित तिथि से पूर्व वांछनीयताओं का अनुपालन करने की सलाह दी जाती है।

जारीकर्ता :

दिनांक: 11 जुलाई, 2019

**डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**